



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267635
CG-DL-E-13112025-267635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 336]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

फा. सं. एफएक्स-4/2/2025-पीआर.—वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 1/3/2016-पीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं. 1/3/2024-पीआर के तहत यथा संशोधित 22 दिसम्बर, 2003 की वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी-पीआर में आंशिक संशोधन के साथ केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिक निवेश का विकल्प देने के लिए, एतद्वारा, उक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1(vii)(ग) के अंतर्गत उपखंड (क) और (ख) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड अंतर्विष्ट किए जाएंगे, नामतः:-

(ग) एग्रेसिव लाइफ साइकल निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 75% निर्धारित हो फंड- एलसी 75

- (घ) बैलेंस्ड लाइफ साइकल निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित हो और इक्विटी कंपोनेंट की टेपरिंग 45 वर्ष की आयु से शुरू हो-बीएलसी

मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर के तहत प्रकाशित हुई थी और तदनंतर 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 1/3/2016-पीआर तथा 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं. 1/3/2024-पीआर के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025

F. No. FX-4/2/2025-PR.—In partial modification of the Ministry of Finance's (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22nd December, 2003 as amended vide Ministry of Finance's (Department of Financial Services) Notification No. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019, and the Ministry of Finance's (Department of Financial Services) Notification No. 1/3/2024-PR dated 24th January, 2025, the Central Government, in order to allow more investment options to Central Government employees under National Pension System and Unified Pension Scheme, hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

2. Under para 1(vii)(c) of the said notification, after sub-clauses (A) and (B), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

- (C) Aggressive Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 75% - LC-75.
- (D) Balanced Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 50%, with tapering of equity component commencing from the age of forty-five years - BLC

MANOJ MUTTATHIL AYYAPPAN., Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the *Gazette of India*, Extraordinary, Part I, Section 1, vide Notification No. F. No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22nd December, 2003, and was subsequently amended vide Notifications No. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019 and Notification No. 1/3/2024-PR dated 24th January, 2025.